


II/10010/सर्वा | २२-५०/१२६८/4845

न्यायालय श्री मानु राजस्व मण्डल गवालियर, कैम रीवा ₹५०००



₹ 30

01 - श्री मती प्रेमवती मिश्र विधवा पत्नी श्री मोतीलाल मिश्र उम् 70वर्ष
पेशा - खेती, व गृहकार्य।

02 - जय प्रकाश मिश्र तनय स्वर्गीर्थ श्री मोतीलाल मिश्र उम् 30 वर्ष
पेशा - खेती।

03 - श्री उजेम प्रकाश तनय स्वर्गीर्थ श्री मोतीलाल मिश्र पेशा - खेती, तीनों
निवासी गण ग्राम गोदरी, झूपैपछाठ तहसील - मनगवा०, जिला - रीवा
₹५०००

बनाम

01 - श्री बाबूलाल मिश्र तनय श्री हीरालाल मिश्र निवासी ग्राम गोदरी
झूपैपछाठ तहसील - मनगवा०, जिला - रीवा ₹५०००

02 - ₹५०० शासन

03 - रामानुज तनय नामांकन उम् 60 वर्ष पेशा - खेती, निवासी
ग्राम गोदरी तहसील - मनगवा०, जिला - रीवा ₹५०००

04 - लखाति तनय नामांकन उम् 55 वर्ष निवासी ग्राम गोदरी
झूपैपछाठ तहसील - मनगवा०, जिला - रीवा ₹५०००

05 - अभ्युक्तुमार तनय माधव प्रसाद मिश्र उम् 65 वर्ष, पेशा - खेती,
निवासी ग्राम गोदरी, झूपैपछाठ तहसील - मनगवा०, जिला - रीवा
₹५०००

निगरानी विरद्ध निर्णय व आदेश तहसीलदार
मनगवा०, जो इत्तलाय बी प्रकरण क्रमांक -
17 अ-6 अ/15-16 में दिनांक - 27/9/17
को पारित किया गया है अन्तर्गत धारा -
50 म०५० द्वा० - राजस्व संचिता 1959 द्वा०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है :-

₹०२५

खाता न्यायालय काशी अधिकारी - अमित प्रकाश भट्ट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक II / निग० / रीवा / भू—रा० / 2017 / 4845

जिला—रीवा

श्रीमती प्रेमवती मिश्रा / बाबूलाल मिश्रा

(1)

(2)

(3)

23.04.19

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस०के० चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 17 / अ६अ० / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।


(बी.एम.शर्मा),
सदस्य